उत्तर प्रदेश सर्वार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना प्रकीर्ण

30 ज्न, 1992 ई 0

सं.0 3367 17-ए-239-1-91-संविधान के अनुच्छेद 30.9 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विध्य पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शतों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमा-

उत्तर प्रदेश निर्वोचन विभाग सहायक जिला निर्वोचन अधिकारी सेवा नियमावली, 1992

माग एक-सामान्य

्रां—संक्षिप्त नाम और प्रारम्म—(1) यह नियमावली ्रांचर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ्रोवा नियमावली, 1992 कही जायेगी।

- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- 2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
- 3--पिशाषायें--जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकृत बात नहीं, इस नियमावली में--
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य मृख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से हैं;
 - (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो संविधान के माग दो के अधीन मारत का नागरिक हो या समझा जाय;
 - (ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से हैं;
 - (घ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य लोक प्रति-निधित्व अधिनियम, 1950की घररा 13-कक के अधीन प्रत्येक जिले के लिये इस प्रकार पदामि हित या नाम— निदिष्ट अधिकारी से हैं;
 - (ङ) "जिला निर्वाचन कार्यालय" का तात्पर्य जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से हैं;
 - (च) "सरकार" का तात्पर्यं उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से हैं;
 - (ध) "राज्यपाल" का तास्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संहं

- (ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्म होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से हैं;
- (झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति सेहैं जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ञा) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निर्वाचन विमाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा से हैं;
- (ट) ''मर्ती का वर्ष''का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारहमास की अवधि से हैं।

माग दी-संवर्ग

4--सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

- (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दियें जांय, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी हैं; परन्तू—
- (1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना मर्र हुये छोड़ सकता हैं या राज्यपाल उसे आस्थाित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
- (2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

माग तीन-मर्ती

5—मर्ती का स्रोत—सेवा में किसी पद पर मर्ती, जिला निर्वा-चन कार्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लिपिकों और खजा-न्ची एवं मण्डार लिपिकों में से, जिन्होंने मर्ती के वर्ष के प्रथम विवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोस्नति द्वारा की जायगी।

6--आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रोणियों के अभ्याययों के लिये आरक्षण, मतीं के समय प्रवृक्ष भरकार के आदेशों के अनुभार किया जायगा।

माग चार--मतीं की प्रक्रिया

7—रिवितयों का अवधारण—नियुवित प्राधिकारी वर्ष के वीरान मरी जाने वाली रिवितयों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रीणयों के अन्य थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिवितयों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8--पदोन्नित द्वारा मर्ती को प्रक्रिया—(1) सेवा में पद पर मर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन अभिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्निलिखत ृहींगें:

(एक) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश . अध्यक्ष

(वो) मुख्य निवासन अधिकारी, उत्तर प्रदेश हारा ... सदस्य

नाम निर्विष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी जो समूह "ख" श्रेणी के अधिकारियों से निम्न न हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अम्याययों की पात्रता सूचियां उप्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र-पंजियों और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अमिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन सिमिति के समझ रखेगा:

परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सुधियां तैयार करते समय, जहां दो मिन्न-मिन्न पोषक संदर्ग हीं--

- (क) जिनके वेतनमान भिन्न-भिन्न हीं वहां उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अम्यिथियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;
- (ख) जिनके बेतनमान समान हों वहां पात्रता सूची में अम्य-थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्गों में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के कम में रखे जायेंगे।

टिप्पणी—पदोज्ञति के प्रयोजन के लिये समस्त जिला निर्या-चन कार्यालयों के ज्येष्ठ लिपिकों और खजान्ची एवं मण्डार लिपिकों के पदों के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य स्तर पर पृथक संयुक्त ज्येष्ठता सूचियां बनायी जायेंगी।

- (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अमिलेखों के आधार पर अभ्याधियों के मामलों पर विचार करेगी और पदि वह आवश्यक समझे तो अभ्याधियों का साक्षात्कार मी कर सकती हैं।
 - (4) चयन समिति चयन किये गये अस्याययों की सूचियां उस उपेक्टता अप में जैसी कि वह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्र सारित करेगी।

माग पांच--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9—नियुन्ति—(1) नियुन्ति प्राधिकारी अभ्याधियों के नामों को उसी ऋम में लेकर जिसमें ये नियम 8 के अधीन तैयार की गई सुचियों में आये हों, नियुन्तियो करेगा।

- (2) यदि किसी एक चयम के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी नियं जोय तो एक संयुक्त आदेश मी जारी किया जायगा जिसमें क्यक्तियों के रामों का उल्लेख ज्यष्ठता—कम में किया जायगा जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।
- 10--परिवीक्षा--(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त क्यक्ति को दो दर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा ।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा विनोक विनिविद्य किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परम्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में बोधर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

- (3) श्रदि परिवीक्षा अवधि या यथास्थिति बढ़ाई गई परि-वीक्षा अवधि के दौरान किसी मी समय या उसके अन्त में, नियुक्ति प्राधिकारों को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रवान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावितत किया जा सकता हैं।
- (4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रस्थावित्त किया जाय वह किसी प्रतिकरका हक्ष्वार न होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समक्षक्ष या अञ्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
- 11—स्थायीकरण—नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रवेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए जारी आवेश कि परिवीकाधीन व्यक्ति ने परि-वीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आवेश समझा जायेगा।
- 12—ज्येह्हता—सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुषत व्यक्तियों की ज्येक्टता समय—समय पर यथा संजो-धित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येक्टता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छ:--वेतन इत्यादि

- 13-वितनमान-(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य बेतनमान ऐसा होगा जंसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्म के समय बेतनमान 1640-60-2600-व0 रॉ0-75-2900 रुपयें हैं।

14—परिबोक्ता अविध में वेतन—(1) फन्डामेन्टल क्रिन में किसी प्रतिकृत उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षा-घीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नाहो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उपने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दो जायगी जब उनने परिवीक्षा अविधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर विद्या गया हो:

परन्तु यदि सन्तीष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अविधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अविधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जाब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यया निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवोक्षा अविध में वेतन सुसंगत फन्डामन्टल कल्प द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अविधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अविधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

- (3) ऐसे ब्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अविध में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लामान्यतदा लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
- 15—दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड—किसी भी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण अन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

माग लात--अन्य उपबन्ध

16—पक्ष समर्थन—सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित तिफारिश से भिन्न किसी अन्य तिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अम्पर्थी की ओर से अपनी अम्य-खिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनहें कर

17—अन्य विषयों का विनियमन—उन विषयों के संबंध में, जो विनिद्धिट रूप से इस नियमावर्ला या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आने हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

18—सेवा की कार्तों में किथिलता—जहां राक्ष्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की कार्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित किशाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अमिम्बत या शिथिल कर सकती हैं।

19—स्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रमाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको इस संबंध में सरकार द्वारा सनय—अमय पर जारी कियें गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रीणयों के अभ्याययों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

पॅरिशिष्ट [नियम 4 (2) देखिये]

ऋत- सं ()	पद का नाम	पदों की संख्या		
40		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	2 6	3 7	63

In pursuance of the previsions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3367/XVII-A-239-1-91, dated June 30, 1992:

No. 3367/XVII-A—239-1-91 June 30, 1992

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Election Department, Assistant District Election Officer Service.

THE UTTAR PRADESH ELECTIONS DEPARTMENT ASSISTANT DISTRICT ELECTION OFFICER SERVICE RULES, 1992.

PART I-General

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service Rules, 1992.

- 12) They shall come into force at once.
- Pradesh Assistant District Election Officer Service comprises Group 'C' posts.
- 8. Definitions.— In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—
 - (a) "appointing authority" means the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh;
 - (b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part II of the Constitution;
 - (c) "Constitution" means the Constitution of India;
 - (d) "District Election Officer" means an officer so designated or nominated for each district under section 13-AA of the Representation of the People Act, 1950;
 - (e) "District Election Office" means the office of the District Election Officer;
 - (f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
 - of Uttar Pradesh;
 - (h) "member of the service" means a person appointed in a substantive capacity under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;
 - (i) "substantive appointment" means an appointment not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of Service, and after selection in accordance with the rules and if there are no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
 - (j) "service" means the Uttar Pradesh Elections Department Assistant District Election Officer Service;
 - (k) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II-Oadre

- 4. Cadre of service.— (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time;
- (2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1) is given in Appendix:

Provided that

- (1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;
- (2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-Recruitment

- 5. Source of recruitment.—Recruitment to the post in the service shall be made by promotion from amongst substantively appointed Senior Clerks and Cashier-cum-Store-Clerks of the District Election Offices who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.
- 6. Reservation.—Reservations for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV-Procedure for recruitment

- 7. Determination of vacancies.—The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.
- 8. Procedure for recruitment by promotion.—
 (1) Recruitment to the post in the service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising:
 - (i) Joint Chief Electoral .. Chairman. Officer, Uttar Pradesh.
 - (ii) Two Officers not .. Members. below the rank of Group "B" Officers to be nominated by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.
- (2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record pertaining to them, as may be considered proper:

Provided that while preparing eligibility lists under this sub-rule where there are two different feeding cadres—

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list.

(b) bearing the same pay scale the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective

cadres.

Note:—For the purposes of promotion combined seniority lists shall be prepared separately for the posts of Senior Ckrks and Cashier Cum-State Clerks of all the District Election Offices, at the State level by the Chief Electoral Officer, Uthair Pradesh.

- (3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.
- (4) The Selection Committee shall prepare lists of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART v—Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

- 9. Appointment.—(1) The appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 8.
- (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of senicrity as it stood in the cadre from which they are promoted.
- 10. Probation.—(1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.
- (4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The appointing authority may allow continuous service rendered in a post included

in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

- 11 Confirmation.—The order issued by the appointing authority under sub-rule (3) of rule 5 of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, declaring that the probationer has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
- 12. Seniority.— The seniority of persons substantively appointed to posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VI-Pay. etc.

- 13. Scale of pay (1) The scale of pay admissible to persons appointed in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scale of pay at the time of commencement of these rules is Rs. 1,640—60—2,600 EB—75—2,900:
- 14. Pay during probation.— (I) N twithstanding any provision in the Fundam n'al Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who is already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.
- 15. Criteria for crossing efficiency bar.— No Assistant District Election Officer shall be

ij

PART VII-Other Provisions

- 16. Canvassing .— No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the past of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
- regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
- 18. Relaxation in the conditions of service.—Where the State Government is satisfied that the operating of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements

of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

19. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[See rule 4 (2)].

Sl.	Name of post	Number of posts		
no.		Perma- nent	Tempo- rary	Total
1	Assistant District Election Officer	26	37	63
			aist	à

काज्ञा सं, मोहिग्बर सिह, प्रमुख संचिव, ।

दिप्ताची नहराजपन, दिनांक 3-10-92, भाग 1-क में प्रकाशित । [प्रतिकिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी 0 प्रमुख सूच मी 0-24(निर्वाचन)-5-11-92-300 (मोनो)।

उत्तर प्रबंधा सरकार निर्वाश्वन विसाग

े 10 सई, 1993 ई0

सं0 4003,17-ए-239-1-91-संविधान के अगुक्टेंट 309 के परन्तुक करके राज्येपाछ, सत्तर मदेश तियांचा पिनाश सहायक जिला निर्माणन लाघकारी सेवा नियमा करती, 1992 में संशोधन करन द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग को दृष्टि है निम्मिलिबा नियमांबकी बतार है :--

उत्तर प्रदेश तिशासित किया सहायक जिला निर्याचन अधिकारी संवा (प्रथम संस्थीखन) नियमावली, 1993 1— ই বিশ্ব বাদ করি সাংশ্র (৩) यह नियम खड़ी उत्तर प्रदेश निर्मोत्रन दिन्याग सहायक जिला निर्दाचन अविकारी स्ता, जिस्स स्थापन जिस्सान हो, 1993 नहीं जामती। - (v) see and realism of the control of the control

क्षा निर्माणक का निर्माणक जिल्ला किला किला किला किला निर्माणक स्थाप से से से किला किला किला किला किला से से से नियसानकी, 2992 में तीर कताना एक से विगे नियस ह के अपीत्यम (2) के स्थान पर स्तुन्त दी में दिया गया

- समिति के समय स्वतान करते हैं है है है है है
- ात मर दे देश समातमा के समित मानता स्वियां तैयार करते समय, जहां दी जना-मिना पोषक संवर्ग हों-
- का जिल्ला के समान है। वहां उच्चतर विवत्तसन्ति साके साक्ष्या का माना माना म प्राप्तक स्थात यह दश जा**रा**जन
- म् (स) विजनम् विजनमान समाना हो बहा प्रता सूची में अनगापया में नाम जनमें अन्त-रामनस्वामा में उनकी मी लिक वधा जायज्ञेषत् भवन्यत्रीष्ट्रम् भो आस् सा ज्यसः आय्यना धार्थः

10. (ant.) के क्षेत्रकां जाते कार्य कार्य

बर्गम्म स्तानि के प्रयोज्ञ के लिए समस्य जिल्हा ति वाबत कायालयां क वरिषठ किपनारं खार कारायर कम भदेश द्वारा राज्य स्तर पर पुराकृ संयुक्त ज्याकता स्विताला हारा है। राज्य स्तर

ा १९८८ । इस्ति इस्तिम् इस्तिम् । इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्तिम् इस्ति

(2) नियुन्ति प्राप्ति व स्थापन कामान्य स्थापन (2) नियुन्ति प्राप्तिकास्य सम्बद्धि स्थापनी स्थापनी स्तर मन्त्र (कीक सेना जायोग के बार के स्वाहर के पदी सतह प्रदेश क्रिक सवा करनामा के मह के बाहर के पदी पर) पर) जम्माननेक पावता क्षाणे नयमाक्ष्ये। 1586के अनुसार्धः जमोनतित्मात्रता स्त्री, क्रिम्साक्कीन्य 986के अनुसार तेयार तैयार करेगा कीर उसका महिन सामग्री कीर जनसे सम्बन्धित करेगा थीर अनुकी के एक प्राजामी कीर जनसे सम्बन्धित अन्य साम ग्री का मिल्या के साम जा जी जीनत समझे जाय, चयन एते श्रीमलेखी के माय, जी जीनत समझे जाय, चयन समिति ... उस अञ्चलकार अध्ये चार्किट काम्

परन्तु इस जम नियम के अधात प्राप्त सुचिया तथार करते समय, जहां दो मिन्न-स्मिन्न पोषक संवर्ग हों--

- (क) जिनके वेतन भिष्त-भिष्त हों वहां उच्चतर वेतन-माग बाहि संवर्ग के अभ्यायियों को पात्रता मूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा,
- (ख) जिनके जेतनमाच समान हो वहां पात्रता सूर्चा में अम्यियों के जास जनके समन्ते अपने संवर्गों में उनकी मीलिक नियमित के दिनाक के कम से रखे जायरे।

मं ज्यापः अस्मीययो क तम्सः मानता सुचास क्राप्ट रस जायेगे।

िपणो - प्रान्ताह में अयाना के किए समस्त जिल , नित्राचन कायाल्या च के जिल्ला और करियद कर स्टार स्टोतः कलकी क पदों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर "बलक के पदी के लिए मेन्छी जिलावा अधिकारी, उत्तर प्रदेश

In pursuance of the provisions of chause (8) of Article 348 of the Consertion Governor is planted to order the publication of the following English, cranslation or neather from no. 4008/17 - A-1-289-1-91, dated May 10, 1998;

No. 4008/17-A-I-289-1-91 May 10, 1993

In exercise of the powers conferred by provise to Article 309 of the Constitution Governor is Pleased to make the following rules with a view to amending the Ditar Practice 1 me. Tions D. par ment Assistant District Election Officer Service Rules, 1993

ELECTIONS DEPARTMENT ASSISTANT DISTRICT UTTAR PRADESH (TIRST AMENDMENT) BULES 1998 THE

ELECTION OFFICER SERVICE 1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Them Process and tions Department Assistant District Election Officer Service (First Amendment) Rates 1993. (2) They shall come imposfured at once.

2. Amendment of rule 8.—In the Utter Prodesh Elections Department, Assistant Discours Election Officer Service Rules, 1992, for sub-rule (2) of rule 8, set out in Column I believe the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

COLUMN I Boisting sub-rule

The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the parview of the Public Service Commission) Engibility List Rules, 1986, place the same before the Selection Committee along with their Churacter Rolls and Buck record pertaining to them, magning foundations and see seem as

Propried that white preparing sighistry Time and This subtrale where there are 4200

Haming different pay scales, the sandidates belonging to the cadre bearing higher may scale shall be placed higher in the eligibility list;

(b) bearing the same pay scale the names of idre candidates shall be arranged in the eligibility list in order of the date of their substantive appointment in their respective ordres.

None Hor the proposes of promotion complaint and property, line and le prepared septminely. Top the posts of senior clerks and on Shiercompanione aderes of tall the District Election Offices at the State level by the Chief Electrong Pifficer, Uthar Pradesh.

-Carrier II Bull-ratio and discretizate what it is ted

The annihilary authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Utter Partiesh 'Prometica by Scheetion (on posts extends the representative of which Public Service Commission) and Eligibility List Rules, 1986 and place the same before the Selection Communication plans with their Character Rolls and The Character record pertaining to

paraning eligibility

pay scales the higher more space shall be placed higher in the eligibility list;

(b) bearing the same pay scale the names of the candidates shall he arranged in the eligibility list in order of the date of their salestentive appoint ment in their pespective cadre;

(c) if the pur scale and the date of their substantive appointment in feeding cardre me the same; the names of the condidates shall be arranged in the elieligible list in order of the date of their substitutes. Suppointment win the next lower states and where there are no such cadre, the candidates who are senior in age shall be placed higher in the eligibility list,

of promotion Norm-For the purposes a combined seniority list shall be prepared for the post of senior clerks and cashier-enm-score clerks of all the District Election Offices at the Store level by the Chief Electoral Officer, Utter Pradesh.

MINITED, CHIEF THE THE BY

विस्तान विस्तान 12-6-93, मार्ग 1-क में प्रव प्रतिकिप सुनवार्व ग्रेविय—] याभ्यस्य मुक्तमाय 31 विस्तिन-9-5-83-800 (मोनो) ।



उत्तर प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग 30 ਜੈਸੰਦ, 1994 ਵੈਂਹ

सं 0 4287/17-ए-1--239-91--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्त्क द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करके णाज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्वाचन विमाग सहायक जिला निर्वाचन गणिमारी सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निस्तिलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश निर्वाचन विनाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) ॄ नियमावली,

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्म-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्वाचन विमाग सहायक जिला विश्वीचन अधिकारी सेवा (दितीय संशोधन) नियमावली; 1994 कही जायेगी।

(2) यह तूरन्त प्रवृत्त हीगी।

2---नियम 2 का प्रतिस्थापन---उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियम(बली), 1992, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नीचे रतम्म एक में दिये गये नियम 2 के स्थान पर, स्तम्म दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात-

स्तम्म-एक

वर्तमान नियम

2-सेवा की प्रास्थित-उत्तर प्रदेश निर्वाचन विमाग सहायक जिला निवाचन अधिकारी सेवा में समृह "ग" के

पद समाविष्ट हैं।

स्तम्म-एक

वर्तमान नियम

स्तम्म दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अयि :--

5—भूर्ती का स्रोत—सेवा में किसी पद पर मर्ती जिला निर्माचन कार्यालकों में मौलिक रूप से नियुक्त वरिश्ठ लिपिकों एवं के शियर-कम-स्टोर कलके में से, ्र जिन्हींने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस की इस रूप में जायंगी ।

स्तम्म-दो

एतद्दारा प्रतिस्थापित नियम

2-सेना की प्रास्थित-उत्तर प्रदेश सहायक जिला निर्वाचन अभिकारी सेवा में समूह "खू" के पद समाविष्ट हैं।

3--नियम 5 का प्रतिस्थापन-- 3क्त नियमावली में नीचे स्तम्म एक में दिए गए नियम 5 के स्थान पर

स्तम्म-दो एतद्धारा प्रतिस्थापित नियम

5—मर्तीकास्रोत—सेवा में किसी पद पर मर्ती जिला निर्वाचन कार्यालयों में मौहिक कप से नियुक्त वरिष्ठ लिपिको और कैशियर-मम-स्टोर क्लक में से, जिन्होंने मर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायगी ।

4--नियम 8 का संशोधन-उक्त नियमावकी के नियम 8 में नीके स्तम्म एक में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्म ही में दिमा गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात-

स्तम-एक बतमान उपनियम

8-पदोन्नित द्वारा मर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में पद पर मर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, उपेच्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्निलिखित होंगे :

स्तम्म-दो एतद्दारा प्रतिस्थापित जपनियम

8-पदोन्नित द्वारा मर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में पद पर मर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे ::

स्तम्भ-एक वर्तमान उपनियम

(एक) संयुक्त मुख्य निर्वाचन (अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(दो) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो अभिकारी जो समृह "ख" श्रेणो के अधिकारियों से निम्न न हों।

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(एक) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश

(दो) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर सदस्य प्रदेश द्वारा नामनिदिष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी जो समृह के अविकारियों से निम्न स्तर के नहीं।

> आसा से: शैवाल कुमार मुखर्जी; अमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4287/ 17-A-I-239-91, dated April 30, 1994:

> No. 4287/17-A-I 239-91 April 30, 1994

In exercise of the powers conferred by the provise to Acticle 309 of the Constitution, the Governer is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer Sarvice Rules, 1992;

THE UTTAR PRADESH ELECTIONS DEPARTMENT, ASSISTANT DISTRICT ELECTION OFFICER SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 1994

- Short title and commencement. -(!) These rules may be called the Uttar Pradesh Elections Department, Assistant District Election Officer S rvice (Second Amendment) Rules, 1994.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. Substitution of rule 2. For rule 2 of the Utter Pandesh Elections Department, Assistant District Election Officer Service Rules, 1992 hereinafter a fled the said Rules, for rule 2 set out in Column I below, the rules as set out in Column II shall be substituted, namely :

COLUMN I (Existing rules)

COLUMN II (Rules as hereby substituted)

Status of the Service-

The Uttar Pradesh Assistant District Election Officer Service comprises Group "C" posts.

Status of the Service-

- The Uttar Pradesh Assistant District Election Officer Service Comprises Group B. posts.
- 3. Substitution of rule 5. For rule 5 of the said Rules set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, nemely:

COLUMN I (Existing rule)

5. Source of recruitment.—Recruitment to the post in the service shall be made by prometice the pest in the Service shall be made by promotion from amongst substantively appointed series elerks and eashier-cum-stone clerks of the District Election Offices who have completed eight, trick Election Offices who have completed ten years service as such on the first dey of the year years solvice, as such on the first day of the of recruitment.

COLUMN II (Rule as hereby substituted)

5. Source of recruitment.—Recruitment to from omorgst substantively appointed senior elerks ad eashier-cum-store clerks of the Disyear of recruitment.

Amendment of rule 8. In rule 8 of the said Rules, for sub-rule (I) Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, no mely:

COLUMN I

(Existing sub-rule)

- 1. Procedure for recruitment by promotion.— Recruitment to the post in the service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising:
 - (i) Joint Chief Electoral · · Chairman. Officer, Uttar Pradesh
 - (ii) Two Officers not below the rank of Group "B" Officers · Members. to be nominated by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.

COLUMN II

(Sub-rule as hereby substituted)

- 1. Procedure for recruitment by promotion. Recruitment to the post in the service shall be made on the basis of senicrity subject to the rejection of unfit through a Selection Committee comprising:
 - (i) Joint Chief Electoral · · Chairman. Officer, Uttar Pradesh
 - (ii) Two Officers not below the .. Members rank of Group "A" Officers to be nominated by the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.

By order, S. K. MUKHERJEE, Principal Secretary.

-राजपत्र, विनांक 2-7-94, भाग 1-क में प्रकाशित । सा0 (निर्वाचन)-19-8-'94-300 (मोनो)।